भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2739

19 दिसम्बर, 2023 को उत्तरार्थ

विषय: छोटे और मध्यम किसानों की आय

2739.श्रीमती वीणा देवीः

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या छोटे और मध्यम किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए कृषि-अवसंरचना में बड़े स्तर पर निवेश किया जा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार द्वारा बिहार के मुजफ्फरपुर और वैशाली जिलों के लघु और मध्यम किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए कोई अतिरिक्त निवेश किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या भारत में खाद्य-उत्पादन में आत्म-निर्भरता प्राप्त करने और विश्व के एक बड़े हिस्से की खाद्य-आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमता है; और

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री अर्जुन मुंडा)

(क) से (ग): जी, हां। छोटे और मध्यम किसानों की आय बढ़ाने के लिए, भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं जैसे कृषि अवसंरचना कोष, कृषि विपणन अवसंरचना (एएमआई), राष्ट्रीय कृषि मंडी (ई-नाम) योजना, समेकित बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) आदि के तहत अवसंरचना के निर्माण हेतु निवेश को बढ़ावा देने हेतु मौजूदा कृषि अवसंरचना में व्याप्त अंतराल को कम किया जा रहा है।

कृषि अवसंरचना कोष (एआईएफ) एक मध्यम-दीर्घकालिक ऋण वित्तपोषण सुविधा है जिसके के माध्यम से फसलोपरांत प्रबंधन बुनियादी ढांचे और सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के लिए व्यवहार्य परियोजनाओं में निवेश के लिए ऋण पर ब्याज छूट और क्रेडिट गारंटी सहायता प्रदान की जाती है।

इस योजना के तहत बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा 1 लाख करोड़ रुपये तक के ऋण के लिए सीजीटीएमएसई के तहत ई-मार्केटिंग प्लेटफॉर्म, वेयरहाउस, साइलोस, पैक हाउस, परख इकाईयों, छंटाई और ग्रेडिंग इकाईयों, शीत श्रृंखला, लॉजिस्टिक्स सुविधाओं, प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्र, राईपनिंग चैंबर आदि सहित आपूर्ति श्रृंखला सेवाओं जैसे फसलोपरांत प्रबंधन बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए किसान, एफपीओ, पीएसीएस, विपणन सहकारी समितियां, एसएचजी, संयुक्त देयता समूह (जेएलजी), बहुउद्देशीय सहकारी समितियां, कृषि-उद्यमी, स्टार्ट-अप और केंद्रीय/राज्य एजेंसी या स्थानीय निकाय प्रायोजित सार्वजनिक-निजी साझेदारी वाली परियोजनाओं सहित सभी पात्र लाभार्थियों को प्रति वर्ष 3% ब्याज छूट और क्रेडिट गारंटी कवरेज के साथ ऋण के रूप में 2 करोड़ रुपये दिए जाएंगे।

कृषि अवसंरचना कोष के तहत पात्र सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों में शामिल हैं:- जैविक आदान उत्पादन, जैव उत्तेजक उत्पादन इकाईयाँ, स्मार्ट और सुव्यवस्थित कृषि के लिए बुनियादी ढाँचा, निर्यात कलस्टरों सहित फसलों के कलस्टरों के लिए आपूर्ति श्रृंखला बुनियादी ढाँचा उपलब्ध कराने के लिए पहचान की गई परियोजनाएँ, केंद्र/राज्य/स्थानीय सरकारों द्वारा प्रचारित परियोजनाएँ या सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों या फसलोपरांत प्रबंधन परियोजनाओं के निर्माण के लिए पीपीपी के तहत उनकी एजेंसियां।

एआईएफ के अलावा, सरकार कृषि क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं में सुधार लाने और छोटे और मध्यम किसानों की आय बढ़ाने के लिए निम्नलिखित योजनाओं के माध्यम से भी निवेश कर रही है:-

(i) कृषि विपणन अवसंरचना (एएमआई), एकीकृत कृषि विपणन योजना (आईएसएएम) की एक उप-योजना है जिसके तहत कृषि उपज की भंडारण क्षमता बढ़ाने के लिए राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में वेयरहाउसों/गोदामों के निर्माण/नवीनीकरण के लिए सहायता प्रदान की जाती है। एएमआई मांग आधारित योजना है जिसमें पात्र लाभार्थी की श्रेणी के आधार पर परियोजना की पूंजीगत लागत पर 25% और 33.33% की दर से सब्सिडी प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत व्यक्तियों, किसानों, किसानों/उत्पादकों के समूह, कृषि-उद्यमियों, पंजीकृत किसान उत्पादन संगठनों (एफपीओ), सहकारी समितियों और राज्य एजेंसियों आदि के लिए सहायता उपलब्ध रहती है। यह योजना मांग आधारित है।

(ii) राष्ट्रीय कृषि मंडी (ई-नाम) योजना, कृषि और बागवानी वस्तुओं के ऑनलाइन व्यापार की सुविधा के लिए विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों(यूटी) की वास्तविक थोक मंडियों/बाजारों को एकीकृत करने वाला एक वर्चुअल प्लेटफार्म है ताकि किसानों को उनकी उपज के लिए बेहतर लाभकारी मूल्य प्राप्त करने में सक्षम बनाया जा सके।

(iii) एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) जिसके तहत बागवानी उपज के लिए शीतागार, शीत कक्ष सुविधाओं सहित फसलोपरांत प्रबंधन बुनियादी ढांचे की स्थापना के लिए सामान्य क्षेत्रों में परियोजना लागत की 35% और पहाड़ी एवं अनुसूचित क्षेत्रों के मामले में 50% की दर से प्रति लाभार्थी वित्तीय सहायता दी जाती है। यह घटक वाणिज्यिक उद्यमों के माध्यम से मांग/उद्यमी संचालित है जिसके लिए सरकारी सहायता क्रेडिट लिंक्ड एंड बैक एंडेड है।

(iv) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई), एक केंद्र प्रायोजित योजना जिसके तहत संबंधित राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली राज्य स्तरीय संस्वीकृति समिति (एसएलएससी) की बैठक में अनुमोदित कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में परियोजनाओं के आधार पर राज्य सरकारों को अनुदान सहायता के रूप में निधियां जारी की जाती हैं, जो इस योजना के तहत परियोजनाओं को मंजूरी देने के लिए सशक्त निकाय है। इस योजना में राज्यों को उनकी प्राथमिकताओं के अनुसार कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में चयन, नियोजन, अनुमोदन और परियोजनाओं के निष्पादन की प्रक्रिया में छूट और स्वायत्तता प्राप्त है। आरकेवीवाई मुख्य रूप से एक परियोजना उन्मुख योजना है, जिसका लाभ कृषक समुदाय के सभी वर्गों को मिलता है।

इन योजनाओं का उद्देश्य निम्नलिखित के माध्यम से किसानों की आय में वृद्धि करना है:-

- किसानों को उनकी उपज उपभोक्ताओं के एक बड़े समूह को सीधे बेचने की अनुमति देने के लिए बेहतर विपणन बुनियादी ढांचे तक पहुंच प्रदान करना और इस प्रकार, किसानों के लिए मूल्य प्राप्ति में वृद्धि करना।
- किसानों को फसलोपरांत नुकसान कम करने और कम से कम संख्या में बिचौलियों की भागीदारी के साथ मंडी में उपज बेचने में सक्षम बनाने के लिए लॉजिस्टिक्स बुनियादी ढांचे में निवेश की सुविधा प्रदान करना। इससे किसान स्वतंत्र होंगे और मंडी तक पहुंच में सुधार होगा।
- आधुनिक पैकेजिंग और शीतागार प्रणाली तक पहुंच प्रदान करना ताकि किसानों को यह तय करने में सक्षम बनाया जा सके कि उन्हें उनकी उपज मंडी में कब बेचनी है और इस प्रकार मूल्य प्राप्ति में सुधार हो सके।
- उत्पादकता में सुधार करने और आदानों के अनुकूलन के लिए किराये पर सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियां सस्ती कीमत पर उपलब्ध कराना, जिसके परिणामस्वरूप किसानों को पर्याप्त बचत होती है।
- उन्नत किस्मों, गुणवत्ताप्रद बीज व रोपण सामग्री, संरक्षित खेती, उच्च गहन वृक्षारोपण, कायाकल्प, सुव्यवस्थित खेती एवं बागवानी यंत्रीकरण के माध्यम से उत्पादकता बढ़ाना।
- बागान और रोपण वाली फसलों, अंगूर के बागानों, सब्जियों और फूलों के बगीचों, मधुमक्खी पालन, मशरूम की खेती, बेमौसमी सब्जियों के लिए उच्च मूल्य वाली बागवानी की ओर परिवर्तित होना।
- शीतागारों (सीएस), पैक हाउस सहित शीत श्रृंखला एवं आपूर्ति श्रृंखला, राइपनिंग चैंबर, रीफर वाहन आदि के माध्यम से फसलोपरांत प्रबंधन को बढ़ावा देना।

- बागवानी फसलों के प्राथमिक एवं न्यूनतम प्रसंस्करण को बढ़ावा देना।
- मंडी संपर्क: मंडी अवसंरचना जैसे मोबाइल वेंडिंग कार्ट, खुदरा बिक्री केंद्र, प्राथमिक व थोक मंडियां, प्रत्यक्ष बाजार/किसान बाजार बनाना।
- किसानों को एफपीओ/एफआईजी में एकत्रित करना और मंडी संग्रहकों (एमए) और वित्तीय संस्थानों (एफआई) के साथ उनके गठजोड़ को बढ़ावा देना।
- कौशल विकास: मानव संसाधन विकास जैसे जागरूकता कार्यक्रम, किसान प्रशिक्षण, अध्ययन दौरे आदि। महिलाओं व युवाओं को उत्पादन एवं फसलोपरांत प्रबंधन से संबंधित नवीनतम तकनीकों के बारे में प्रशिक्षण प्रदान करना। एएससीआई पाठ्यक्रम के अनुसार बागवानी में मानव संसाधन विकास पहलों को कौशल विकास में परिवर्तित करना।
- खाद्य एवं पोषण सुरक्षा: उच्च पोषण वाली बागवानी फसलों का क्षेत्रफल और उत्पादन बढ़ाना। सतत बागवानी को बढ़ावा देना।
- आईएनएम/आईपीएम, जैविक खेती, अच्छी कृषि पद्धतियों (जीएपी) को बढ़ावा देना।

ये योजनाएँ पूरे देश के लिए हैं और किसी विशेष जिलों पर ध्यान केंद्रित नहीं करती हैं। हालाँकि, कृषि अवसंरचना कोष के तहत, बिहार राज्य को 1 लाख करोड़ के कुल लक्ष्य में से अनंतिम रूप से 3980 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जिसे बैंकों/वित्तीय संस्थानों द्वारा ऋण के रूप में वितरित किया जाएगा। दिनांक 8 दिसंबर 2023 तक की स्थिति के अनुसार, मुजफ्फरपुर जिले में 13 करोड़ रुपये के स्वीकृत ऋण के साथ 34 बुनियादी सुविधा इकाईयां और वैशाली जिले में 29 करोड़ रुपये की मंजूरी के साथ 20 इकाईयां स्थापित की गई हैं।

(घ) और (ड.): जी, हां। क्षेत्र विस्तार व उत्पादकता में वृद्धि, मृदा की उर्वरता और उत्पादकता बहाल करने; और खेत स्तर पर किफायत को बढ़ाने के माध्यम से चावल, गेहूं और दलहन का उत्पादन बढ़ाने हेतु वर्ष 2007-08 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन शुरू किया गया था।

वर्ष 2022-23 के दौरान, कुल खाद्यान्न का उत्पादन 329.68 मिलियन टन था जिसमें 135.75 मिलियन टन चावल, 110.55 मिलियन टन गेहूं, 57.31 मिलियन टन मोटे-सह-पोषक अनाज और 26.05 मिलियन टन दलहन शामिल थीं। पहले अग्रिम अनुमान 2023-24 के अनुसार, 148.57 मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन दर्ज किया गया है, जिसमें 106.31 मिलियन टन चावल, 35.14 मिलियन टन मोटे सह पोषक अनाज और 7.12 मिलियन टन दलहन शामिल हैं।

आईसीएआर के माध्यम से दलहन के प्रजनक बीज के उत्पादन को सुदृढ़ बनाके किसानों को 10 वर्ष से अधिक पुरानी दलहन के बीज की मिनीकिट की निःशुल्क आपूर्ति (100% हिस्सा) करके दालों के उत्पादन व उत्पादकता को बढ़ाने के लिए नई पहल शुरू की गई है। एनएफएसएम योजना के तहत चावल परती क्षेत्र (टीआरएफए) को लक्षित करना: टीआरएफए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम) कार्यक्रम की एक उप-योजना है जो उस भूमि पर जोर देती है जो खरीफ धान की फसलों की कटाई के बाद कम उपयोग में आती है और इसका उद्देश्य रबी मौसम के दौरान दलहन की ऐसी उचित किस्मों को पेश करना है जिनकी खेती उपलब्ध नमी का उपयोग करके की जा सकती है, इस प्रकार फसल पद्धति में बदलाव लाना है।

****